न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/06/2022	2022/12	11.01.2022	31.01.2022

1. मन्दिर मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज पिनच वाले विराजमान ग्राम रामबास, तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर नाबालिग जरिये वाद मित्र।
2. प्रतापसिंह पुत्र रामस्वरूप।
3. सलेन्द्र कुमार पुत्र हरिराम।
4. ओमप्रकाश पुत्र बिहारी लाल।
5. हेमन्त कुमार पुत्र श्यो सिंह, जाति सैनी, निवासीयान रामबास तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द, जाति ब्राहम्ण, निवासी गोविन्दगढ़।
2. बिजेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी गोविन्दगढ़।
3. रविन्द्र पुत्र मूलचन्द, जाति ब्रहम्ण, निवासी गोविन्दगढ़।
4. बबीता रानी पुत्री मूलचन्द, जाति ब्राहम्ण, निवासी गोविन्दगढ़।
5. रेखारानी पुत्री मूलचन्द, जाति ब्राहम्ण, निवासी गोविन्दगढ़।
6. अशोक कुमार दत्तक पुत्र कैलाशचन्द, जाति ब्राहम्ण।
7. बंता शर्मा पत्नी दिनेश कुमार जाति ब्राहम्ण।
8. सुरेश पुत्र कन्हैया, जाति ब्राहम्ण।
9. दिनेश पुत्र कन्हैया, जाति ब्राहम्ण।
10. भगवती देवी पुत्री राधेश्याम, जाति ब्राहम्ण।
11. रोशन पुत्र मुरली, जाति ब्राहम्ण।
12. मनु कुमार पुत्र घनश्याम दत्त, जाति ब्राहम्ण, निवासीयान गोविन्दगढ़, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर।
13. तहसीलदार साहब गोविन्दगढ़ बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील गोविन्गढ़, जिला अलवर।
14. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील प्रार्थी
02. श्री योगेन्द्र सिंह खटाणा —वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी मंदिर मूर्ति श्री हनुमानजी बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ में अन्तर्गत दावा इस्तकरारहक व हुकमईम्तनाईदवामी बउनवान मंदिर मूर्ति श्री हनुमानजी बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0 विचाराधीन है। पत्रावली वास्ते राजीनामा दिनांक 27.11.2021 को राजस्व कैम्प कोर्ट में लगाई गई थी। कैम्प कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई उसके पश्चात पत्रावली में तारीख पेशी 10.01.2022 नियत की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बीच में ही

जिला कलक्टर, अलवर

तारीख 21.12.2021 नियत कर दी उसके बाद 22.12.2021 नियत कर दी उसके बाद 03.01.2022 नियत कर दी और उसके बाद 17.01.2022 वास्ते जवाब/बहस नियत की गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकियानुसार कार्यवाही न कर मनमाने तौर पर सुनवाई की जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत रूची रखकर जल्दबाजी में प्रकरण को निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी को पहले जवाब के लिए तारीख नियत करनी चाहिए तथा जवाब आने के पश्चात बहस के लिए तारीख नियत करनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी ऐनकेन प्रकरेण प्रार्थना पत्र टी.आई. को खारीज करना चाहते है। पत्रावली में जनरल तारीख 10.01.2022 नियत कर दी गई तो बीच में इस पत्रावली में तारीख नियत कर कार्यवाही करना विधि विरूद्व है। पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है। जिस कारण से उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन वाद अन्तर्गत दावा इस्तकरारहक व हुकमईम्तनाईदवामी बउनवान मंदिर मूर्ति श्री हनुमानजी बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि स्वंय प्रार्थी ही इस वाद को लम्बा चलाना चाहता है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढंत तथ्य दर्ज किए है। पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अंकित तथ्य झूठे और बेबुनियाद है। फिर भी यदि न्यायालय श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल करते है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ ने अपना जबात प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 शिविर में ग्राम पंचायत मुख्यालय रामबास पर पक्षकारान की सहमती हेतु लगाई गई परन्तु सभी पक्षकाराना सहमत नही होने के कारण आगामी तारीख पेशी दी गई प्रा0पत्र में अंकित समस्त तथ्य झूठे, मनगढंत व मनमाने ढंग से अंकित किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या, मनमाने व निराधार कथन अंकित किये है। पीठासीन अधिकारी द्वारा गुणावगुण व मैरिट के आधार पर निष्पक्ष कार्य किया जाता है। यदि प्रकरण को इस न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में मुंतकित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा भी अपनी बहस में उक्त विवादित विचाराधीन प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। मुंतकिल प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत दावा इस्तकरारहक व हुकमईम्तनाईदवामी बउनवान मंदिर मूर्ति श्री हनुमानजी बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर